प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण, विभाग,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक : 13 मई, 2016

विषयः वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में लेखाशीर्षक 2230–03–003–07, मानक मद–29 'अनुरक्षण' में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या–590–91/स्था0/भ0नि0/अनु0/2016, दिनांक 30 नवम्बर, 2015 तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31 मार्च, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान(युवक), देहरादून के प्रशासनिक भवन के मरम्मत हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि., इकाई–2, देहरादून द्वारा उपलब्ध कराये गये आंगणन का टी.ए.सी. परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹26.10लाख{₹23.47लाख सिविल कार्य + ₹02.63लाख (उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत कार्य)} की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2016–17 में ₹16.67लाख(रु0 सोलह लाख सडसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति आहरित कर व्यय किए जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
2. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाए, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
3. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
4. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टयों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाए।
5. आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
6. स्वीकृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाए।
7. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई से पालन करने का कष्ट करें।
8. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं इस संबंध में समय–समय पर निर्गत आदेशों का पालन कड़ाई से किया जाए।
9. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कराया जाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। इसका उत्तरदायित्व निदेशक का होगा।

क्रमशः.....

10. उक्त कार्य के प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए इन्हें समयबद्ध रूप से निर्धारित समय सारिणी के अनुसार पूर्ण जाना सुनिश्चित किया जाय। विलम्ब के कारण आंगणन के पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।
11. कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता के सम्बन्ध में थर्ड पार्टी चेंकिग की व्यवस्था की जाय जिसके सापेक्ष होने वाला व्यय देय सेन्टेज चार्जेंज के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा गुणवत्ता का समस्त उत्तरदायित्व निर्माण एजेंसी का होगा।
12. आंगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।
13. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31मार्च, 2016 में दिये गये दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का यथाआवश्यकता किश्तों में आहरण किया जाएगा और पूर्व आहरित धनराशि के 80 प्रतिशत उपयोग के बाद ही अगली किश्त का आहरण किया जाएगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016–17 में 'अनुदान संख्या–16 के 'आयोजनागत पक्ष' के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–"2230–श्रम तथा रोजगार, 03–प्रशिक्षण, 003–दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, 07 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण, मानक मद '29–अनुरक्षण' के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश शासनादेश संख्या 183/XXVII-I/2012 दिनांक 28.3.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. S1605160070(P.) के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीयसंख्या – **10(P.) /XXVII(5)/2016, दिनांकः 02 मई, 2016** में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

संख्या :241 (1)/XLI-1/2016–04/(प्रशि0)/2015 टी0सी0तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, हल्द्वानी–नैनीताल ।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, हल्द्वानी–नैनीताल।
6. मुख्य वित्त अधिकारी, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी–नैनीताल।
7. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, युवक, देहरूदन।
8. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनूप कुमार मिश्रा)
अनु सचिव।